राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/25	215/2007 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. को पूर्व में रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे अनुपस्थित रहे। अत: रेस्पो. की तामील पूर्ण मानी जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने उनकी बहस पत्रावली पर सुने जाने का निवेदन किया। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/10/2025 को पेश हो।	
09/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 144 की आराजी खसरा नम्बर 586/5 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम मांदी तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका एकमात्र वादी खातेदार काश्तकार है, लगान सरकारी अदा करता है। वादी तन्हा व्यक्ति है, वादी ने मांदी के मीठू हरिजन से उक्त आराजी 8000/- रूपये में दिनांक 20/11/87 को क्रय की थी। उक्त आराजी पर वरवक्त अलॉटमेंट भी मीठू का कब्जा काश्त नही होकर प्रतिवादी का था और प्रतिवादी मीठू को कब्जा नही दे रहा था, मीठू प्रतिवादी से परेशान होकर वादी को उक्त आराजी विक्रय कर दी। वरवक्त विक्रय पत्र एवं उसके पश्चात आज तक वादी प्रतिवादी से कब्जा आराजी प्राप्त नही कर सका। वादी ने प्रतिवादी से उक्त आराजी छोड़ने के लिये कई बार कहा और इसके एवज में रूपये देने की भी कोशिश की व प्रतिवादी को उसके द्वारा कब्जा नही छोड़ने बाबत नोटिस भी सन 1989 में दिया था। इसके बावजूद आज तक कब्जा नही करने दिया एवं हर वर्ष की फसल प्रतिवादी ही खा रहा है। वादी का वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादी दिनांक 20/11/2002 को आराजी विक्रय करने से एवं कब्जा नही देने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 586/5 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम मांदी तह. फागी जिला जयपुर का प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वाद मय काउन्टर प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12/01/2006 को तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज किया जाकर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में एवं अपील के माध्यम से अपीलाधीन निर्णय के सम्बन्ध में यह आपत्ति जाहिर की गयी है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को काउन्टर क्लेम स्वीकार कर खातेदार घोषित कर दिया गया, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का स्पष्ट रूप से उल्लघन है | अत: अपीलाधीन निर्णय विधिविरुद्ध होने से निरस्त किया जावे | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी द्वारा उठाई गयी आपत्ति न्यायोचित्त एवं विधिक प्रतीत होती है | अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/01/2006 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी सहित समस्त पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |